कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण)
जिला उमरिया म0प्र0

क्रमांक /1336/सा.न्या./स्था./जि.दि.पु.के./2023 उमरिया, दिनांक : 01/09/2023

-:: विज्ञप्ति ::-

उपसचिव मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/2475/1306216/23/26–2/भोपाल, दिनांक 23.08.2023 द्वारा भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की 01.04. 2022 को नवीन मार्गदर्शिका अनुसार, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन हेतु दिशा निर्देशों के अनुरूप परिशिष्ट''ब'' अनुसार 01 वर्ष के लिए संविदा आधार पर रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता से संलग्न नियत समय सीमा में की जाना है। उक्त सभी रिक्त पदों हेतु निर्धारित संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2023 तक जिला स्तर पर आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त पदों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/कार्यनुभव का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताए	राज्य शासन द्वारा स्वीकृत मानदेय प्रतिमाह
1	2	3	4	5
1	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट	01	आर सी आई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट (बी पी ओ) में स्नातक	20,500.00
2	सीनियर स्पीच थेरापिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट	01	ऑडियोलॉजी और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी) में स्नातक या बीएससी स्पीच एंड हियरिंग	20,500.00
3	मोबिलिटि इन्ट्रक्टर	01	दसवी : गतिशीलता में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पात्रता : अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी एम एस सी) या दृष्टि बाधिता में डी.एड. विशेष शिक्षा बी.एड. विशेष शिक्षा	14,500.00
4	मल्टीपरपज रिहेब्लीटेशन वर्कर	01	ब्हुउद्धेश्यीय पुर्नवास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पनर्वास (पीजीडीसीबीआर) में पोस्ट ग्रेजुएट समुदाय आधारित पुनर्वास (डीसीबीआर) समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) एमआरडब्ल्यू में डिप्लोमा	14,500.00
5	एकाउटेंट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर	01	दो वर्षों के अनुभव सहित (बी.कॉम./एस.ए.एस)	14,500.00
6	वोकेश्नल काउंसलर कम कम्प्यूटर असिस्टेंट	01	व्यावसयिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डीवीआर) बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी)/पुनर्वास विज्ञान में स्नातक	14,500.00
7	ट्रान्स डिसिप्लिनरी स्पेशल एडुकेटर (एम.आर.)	01	श्रवण बाधिता में डीईडीएमई/बीईडीएमई	16000.00

नियुक्ति संबंधी शर्तें:-

1. **नियुक्त कर्मचारी के शैक्षिणक एवं अन्य अर्हताए संबंधी प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी तथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।**
2. **नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जारी आदेश स्वतः निरस्त माना जाकर प्रतिक्षा सूची में वरियता के अनुसार अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जावेगी।**
3. **सभी पदों हेतु जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है।**

4. समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
5. संविदा पर नियुक्त संविदा कर्मी संविदा के दौरान संविदा नियुक्ति छोडना चाहता है, तो उसे संविदा सेवा त्याग करने के लिये 01 माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा 01 माह का पारिश्रमिक मानदेय पदस्थि कार्यालय में जमा करना होगा।
6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन केवल 01 पद के लिये ही प्रस्तुत किया जावे।
7. संविदा पर नियुक्त संविदा कर्मी को राशि रू. 100/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संबंधित नियोक्ता के साथ करार नामा प्रस्तुत करना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित संविदा मानदेय दिया जावेगा।
9. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 प्रभावशील होगा।
10. नियुक्त संविदा पर विशेषज्ञ/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
11. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताएं रद्द कर दी जावेगी।
12. नियुक्त विषय विषेषज्ञ/कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति से संविदा में माना जावेगा यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
13. नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(सीएमएचओ) का फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
14. नियुक्ति की प्रक्रिया-नियुक्ति जिला विकलांग कल्याण तथा विकास समिति द्वारा मैरिट के आधार पर की जावेगी।
15. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.09.2023 तक सील बन्द लिफाफों में कार्यालयीन समय शायं 6.00 बजे तक रहेगा।
16. (टेक्निकल) विषय-विशेषज्ञों को भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) दिल्ली से जीवित पंजीकृत होना एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना देने हेतु आवेदन पत्र के साथ 6X4 इंच के लिफाफे पर अपना पूर्ण पता लिखा हुआ एवं राशि रू.40/-(राशि रू. चालीस मात्र) का पोस्टल टिकिट लगाकर संलग्न करें।
18. उक्त पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधानों से मुक्त रहेंगे। रिक्त पद पूर्णतः संविदा है, शासन पक्ष के विरूद्ध न्यायालय में कोई प्रकरण प्रस्तुत करने पर स्थिति शुन्य मानी जावेगी। आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र मय फोटो तथा समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित कर अंतिम तिथि 15.09.2023 तक सील बन्द लिफाफों में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला उमरिया में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। लिफाफे पर जिस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख करें। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

कलेक्टर
जिला उमरिया म0प्र0

पृ.क्रमांक /1337/सा.न्या./स्था./जि.वि.पु.के./2023 उमरिया, दिनांक : 01/09/2023
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला उमरिया की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिला उमरिया की ओर बेवसाइट www.umaria.nic.in में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
8. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर
जिला उमरिया म0प्र0